भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 311

उत्तर देने की तारीख 10 अगस्त, 2026

सोमवार, 19 श्रावण, 1948 (शक)

नए जन-शिक्षा संस्थानों के लिए मंजूरी प्रदान किया जाना

†*311.श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सहित देशभर में विगत तीन वर्षों के दौरान कोई नया जन शिक्षा संस्थान (जेएसएस) स्वीकृत नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रशासनिक, वित्तीय या नीति संबंधी कारकों सहित नए उक्त संस्थानों के लिए मंजूरी प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और जिला-वार कितने जन-शिक्षा संस्थान कार्यशील हैं;

(घ) क्या सरकार की निकट भविष्य में ऐसे नए संस्थानों के लिए मंजूरी प्रदान करने की कोई योजना है और यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित समय-सीमा क्या है और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश सहित देश में कितने केन्द्र स्थापित किए जाएंगे; और

(ड.) विगत पांच वर्षों के दौरान मौजूदा जन-शिक्षा संस्थानों के रख-रखाव और कार्यकरण के लिए आवंटित और जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ड.) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'नए जन-शिक्षा संस्थानों के लिए मंजूरी प्रदान किया जाना' के संबंध में श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी द्वारा दिनांक 10.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *311 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान प्रदान करते हुए लाभार्थियों के घर-द्वार पर गैर-औपचारिक माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस स्कीम का उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से स्व-रोजगार/वेतन रोजगार को बढ़ावा देकर परिवार की आय में वृद्धि करना है। इस स्कीम के लक्षित लाभार्थियों में 15-45 वर्ष की आयु वर्ग के नवसाक्षर व्यक्ति, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति तथा कक्षा 12वीं तक की स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले व्यक्ति शामिल हैं। इस स्कीम के अंतर्गत प्राथमिकता समूहों में ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी निम्न-आय वाले क्षेत्रों की महिलाएँ (83 प्रतिशत), अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक शामिल हैं।

वर्तमान में, 26 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 294 जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) कार्यरत हैं। जुलाई 2018 में स्कीम को शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय) से एमएसडीई को हस्तांतरित किए जाने से लेकर दिनांक 30 जुलाई 2026 तक, जन शिक्षण संस्थान स्कीम के अंतर्गत कुल 36.58 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें 83 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएँ हैं।

विगत तीन वर्षों (अर्थात् वर्ष 2023-24 से) तथा चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश में कोई नया जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्वीकृत नहीं किया गया है। इस अवधि के दौरान जन शिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के विस्तार संबंधी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि जन शिक्षण संस्थान स्कीम को जारी रखने का विषय विचाराधीन है।

वर्तमान में, प्रचालनत जन शिक्षण संस्थानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एवं जिला-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। चूँकि उक्त अनुबंध-I में विवरण अत्यधिक विस्तृत है, अतः इसे मंत्रालय की वेबसाइट https://www.msde.gov.in/documents?page=1 पर अपलोड किया गया है।

(ङ): वर्ष 2021-22 से दिनांक 30 जून 2026 तक कुल **770.78 करोड़ रुपए** जारी किए गए हैं। विगत पाँच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जन शिक्षण संस्थानों के रख-रखाव एवं संचालन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त-वर्ष 2021-22	वित्त-वर्ष 2022-23	वित्त-वर्ष 2023-24	वित्त-वर्ष 2024-25	वित्त-वर्ष 2025-26	वित्त-वर्ष 2026-27	कुल योग
1	अंडमान और निकोबार	0.45	0.49	0.5	0.5	0.56	0.12	2.64
2	आंध्र प्रदेश	3.03	3.31	3.35	2.99	3	0.75	16.44
3	असम	2.9	2.74	2.74	2.9	3.12	0.75	15.17
4	बिहार	9.24	11.89	11.69	10.11	10.84	2.5	56.29
5	चंडीगढ़	0.42	0.52	0.56	0.48	0.49	0.14	2.62
6	छत्तीसगढ	6.69	7.61	7.34	6.73	7.44	1.75	37.57
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.81	0.95	0.95	0.75	1.05	0.25	4.77
8	दिल्ली	1.44	1.68	1.68	1.49	1.49	0.37	8.17
9	गोवा	0.48	0.55	0.54	0.47	0.47	0.12	2.66
10	गुजरात	5.11	4.79	4.47	3.84	4.27	1.25	23.75
11	हरियाणा	2.45	2.15	2.2	0.96	0.99	0.25	9.02
12	हिमाचल प्रदेश	4.76	5.71	5.71	4.69	5.73	1.37	28
13	जम्मू और कश्मीर	1.15	0.12	0.25	0.37	0.62	0.25	2.77
14	झारखंड	5.32	5.72	6.3	6.04	6.28	1.62	31.3
15	कर्नाटक	5.6	6.51	6.62	5.86	5.94	1.5	32.05
16	केरल	4.16	5	5.03	4.45	4.56	1.12	24.35
17	लद्दाख	0.57	0.45	0.25	-	0.37	0.12	1.77
18	लक्षद्वीप	0.2	0.5	0.46	0.37	0.5	0.12	2.16
19	मध्य प्रदेश	14.28	14.93	15.03	14.11	14.82	3.37	76.56
20	महाराष्ट्र	10.16	11.3	11.46	10.27	10.57	2.62	56.4
21	मणिपुर	1.93	2.22	2.18	1.99	1.99	0.5	10.84
22	मेघालय	0.2	0.5	0.5	0.49	0.5	0.12	2.33
23	मिजोरम	0.45	0.55	0.51	0.47	0.39	0.12	2.52
24	नागालैंड	0.94	0.63	0.62	0.25	0.7	0.12	3.29
25	ओडिशा	13.23	15.38	15.19	14.37	15.2	3.93	77.32
26	पंजाब	0.75	1.05	0.97	0.97	0.99	0.25	5.01
27	राजस्थान	4.06	4.28	4.51	4.3	4.47	1.12	22.76
28	तमिलनाडु	3.18	4.06	4.31	4.27	4.51	1	21.36
29	तेलंगाना	2.74	3.19	3.23	2.89	3.07	0.75	15.89
30	त्रिपुरा	0.84	1.07	1.01	0.97	1	0.25	5.15
31	उत्तर प्रदेश	22.99	25.79	26.03	23.28	24.11	5.75	127.96
32	उत्तराखंड	3.45	4.63	4.34	3.97	4.05	1	21.45
33	पश्चिम बंगाल	3.53	4.25	3.69	3.8	3.99	1	20.28
	कुल योग	**137.63**	**154.65**	**154.37**	**139.55**	**148.23**	**36.32**	**770.78**
